

भारत गणराज्य की सरकार और पनामा गणराज्य की  
सरकार के बीच सांस्कृतिक और  
शैक्षिक सहयोग करार

भारत गणराज्य की सरकार और पनामा गणराज्य की सरकार (जिनका इसके पश्चात्  
"पक्षकार" के रूप में उल्लेख किया जाएगा)

दोनों देशों की सांस्कृतिक व शैक्षिक क्षमता का कारगर ढंग से इस्तेमाल करने की  
इच्छा से,

विद्यमान मैत्रीपूर्ण संबंधों पर आधारित सांस्कृतिक व शैक्षिक सहयोग का गहन  
अध्ययन करने और उनको विकसित करने की जरूरत को मान्यता प्रदान करते हुए;

निम्नलिखित पर सहमत हुई हैं :-


अनुच्छेद I

दोनों पक्षकार दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक एवं शैक्षिक सहयोग विकसित करने का  
प्रयास करेंगे। वे अपने-अपने कार्यकलापों में एक दूसरे को समर्थन देंगे और दोनों देशों में  
प्रचलित आंतरिक नियमों व विनियमों के अनुसरण में ऐसे सहयोग के लिए सभी आवश्यक  
सुविधाएं मुहैया कराएंगे।

अनुच्छेद II

वैश्विक अर्थशास्त्र की संभावनाओं व मांगों के अनुरूप दोनों पक्षकार सहयोग के  
क्षेत्र के निम्नलिखित क्षेत्रों का पता लगाएंगे और उनका उपयोग करेंगे :-

३१



1. शैक्षिक व वैज्ञानिक स्वरूप की श्रव्य-दृश्य सामग्री का आदान-प्रदान एवं अभिदान।
2. फिल्म व शिक्षा टेलिविजन के संबंध में परामर्श व प्रशिक्षण
3. दर्शनशास्त्र, इतिहास एवं सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्र में अनुभवों व शोध का आदान-प्रदान।
4. दोनों देशों के साहित्य व इतिहास का परिचालन व प्रशिक्षण।
5. दोनों देशों के टेलिविजन नेटवर्कों के माध्यम से वीडियो निर्माण का परिचालन।
6. पुस्तकों व प्रकाशनों का आदान-प्रदान।
7. वैज्ञानिक व साहित्यिक कार्यों, फिल्मों एवं वीडियो के अनुवाद व संपादन में सहायता।
8. ललित कलाओं (चित्रकला, मूर्तिकला, नृत्य, थियेटर, संगीत और हस्तशिल्प) के क्षेत्रों में विशेषज्ञों का आदान-प्रदान।
9. दस्तावेजों को पुनर्स्थापित करना।
10. ऐतिहासिक दस्तावेजों का वर्गीकरण।
11. चल और स्थिर संपत्तियों का पुनर्स्थापन।
12. उपरोक्त क्षेत्रों में अध्येतावृत्तियों के माध्यम से प्रशिक्षण।
13. सांस्कृतिक संवर्द्धन और मेजबानी, प्रशासन, प्रबंधन और सांस्कृतिक आयोजना में तकनीकी सलाह।
14. अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्कूल और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विधि और राजनय अकादेमी के बीच अनुभवों का आदान-प्रदान।
15. विदेश सेवा संस्थान और अकादेमिया डिप्लोमेटिका पनामेना के बीच अनुभवों का आदान-प्रदान।
16. अध्येतावृत्तियां।
17. पनामा के विश्वविद्यालयों और भारतीय विश्वविद्यालयों, विशेष रूप से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के बीच अनुभवों का आदान-प्रदान।
18. कला प्रदर्शों, कला अभिव्यक्तियों और लोक वार्त्ता कार्यक्रमों को आयोजित करना।



19. सम्मेलनों, अध्ययनों और शोध के लिए वैज्ञानिकों, प्रोफेसरों और पत्रकारों का आदान-प्रदान।
20. शिक्षा और संस्कृति का कोई अन्य क्षेत्र जिसे पक्षकार अपने बीच सहयोग के आधार पर पारस्परिक हित का मानते हों।

### अनुच्छेद III


दोनों पक्षकार करार के अनुरूप उन कार्यक्रमों और परियोजनाओं के निष्पादन के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से वित्तपोषण और भागीदारी का अनुरोध कर सकते हैं जो करार से उत्पन्न होते हैं।

### अनुच्छेद II

प्रत्येक पक्षकार इस करार से संबंधित कार्यक्रमों में आधिकारिक रूप से भाग ले रहे कार्मिकों के प्रवेश, ठहराव और प्रस्थान के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान करेगा। वर्तमान कार्यक्रम के अनुसार दोनों पक्षकारों द्वारा भेजे गये कार्मिक मेजबान देश में लागू प्रव्रजन, स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी विनियमों का पालन करेंगे और पक्षकारों द्वारा पहले प्राधिकृत किये बिना करार में निर्धारित पैरामीटर के बाहर किसी अन्य कार्यक्रमलाप के प्रति अपने को समर्पित नहीं करेंगे या किसी प्रकार की राशि प्राप्त नहीं करेंगे।

### अनुच्छेद I

दोनों पक्षकार राष्ट्रीय विधान के अनुसार उन सभी उपस्करों और सामग्रियों के प्रवेश और निकासी हेतु सभी आवश्यक प्रशासनिक और वित्तीय सुविधाएं प्रदान करेंगे जिन्हें परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान इस्तेमाल किया जाएगा।



## अनुच्छेद 1/1

दोनों पक्षकार एक संयुक्त आयोग का गठन करेंगे, जो आवश्यकता पड़ने पर विशेषज्ञों के समावेशन के माध्यम से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से उप-आयोगों और कार्य-दलों की स्थापना कर सकता है।

संयुक्त आयोग विशिष्ट स्वरूप के कार्य वाले विशेष कार्यक्रम तैयार करेगा जिन्हें दो से तीन वर्षों में विकसित किया जायेगा।

## अनुच्छेद 1/II

इस करार के निर्वचन अथवा कार्यान्वयन के संबंध में दोनों पक्षकारों के बीच में उठने वाले किसी भी विवाद का समाधान दोनों पक्षकारों के बीच पारस्परिक परामर्श के माध्यम से किया जायेगा।

## अनुच्छेद 1/III

संयुक्त आयोग दोनों देशों में बारी-बारी से प्रत्येक दो वर्ष में बैठक आयोजित करेगा। तिथियां और स्थान पारस्परिक सहमति के अनुरूप निर्धारित किये जायेंगे। दोनों पक्षकार परियोजनाओं और विशिष्ट विषयों, जिन्हें आवश्यक समझा जायेगा, के अध्ययन के लिए समझौते, विशेष बैठकें आयोजित करेंगे और संगत सिफारिश के संबंध में सुझाव देंगे।

## अनुच्छेद IX

वर्तमान करार उन नोट्स के आदान-प्रदान की तारीख से प्रभावी होगा जिनके अंतर्गत इसके समर्थन के लिए अपेक्षित आंतरिक कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा कर लिए जाने के संबंध में दोनों पक्षकार पारस्परिक रूप से अधिसूचित करेंगे।

२७

Uda

## अनुच्छेद X

वर्तमान करार की अवधि पांच (5) वर्ष की होगी और इसकी वैधता पांच-पांच (5) वर्षों के लिए तब तक स्वतः विस्तारित होती रहेगी जब तक कोई एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को इस करार को समाप्त करने की अपनी इच्छा एक लिखित सूचना के माध्यम से छह (6) माह पूर्व अधिसूचित नहीं करता है।

जिसके साक्ष्य में अपनी-अपनी सरकारों द्वारा विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधियों ने इस करार पर हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नई दिल्ली में फरवरी 2001 के दूसरे दिन हिन्दी, स्पेनिश और अंग्रेजी प्रत्येक भाषा में, दो-दो मूल प्रतियों में, निष्पादित किया गया, सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं। निर्वचन की भिन्नता की स्थिति में, अंग्रेजी पाठ अभिभावी होगा।

भारत गणराज्य की  
सरकार की ओर से

पनामा गणराज्य की  
सरकार की ओर से

आर.वी. वैद्यनाथ राय्दर

नाम: आर.वी. वैद्यनाथ अय्यर

पदनाम: सचिव, संस्कृति

Maria Alejandra Escobar

नाम: मारिया अलेजान्द्रा

ईशेनमान

पदनाम: महासचिव,

विदेश संबंध मंत्रालय

AGREEMENT ON CULTURAL AND EDUCATIONAL  
COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE  
REPUBLIC OF INDIA AND THE GOVERNMENT OF THE  
REPUBLIC OF PANAMA

The Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Panama hereinafter referred as "The Parties".

Desirous of the effective use of the cultural and educational potential of both;

Recognizing the need to develop and study in depth the cultural and educational cooperation based on the existing friendly relations;

Have agreed as follows:

ARTICLE I

The Parties shall endeavour to develop cultural and educational cooperation between the two States. They shall support each other in their respective activities, and provide all the necessary facilities for such cooperation, in accordance with the internal rules and regulations prevalent in both States.

ARTICLE II

In conformity with the possibilities and the demands of global economics, the Parties shall explore and utilize the following areas in the field of cooperation.

1. Exchange and donation of audiovisual materials of educational and scientific content.
2. Consultancy and training in regard to film and education television.
3. Exchange of experiences and research in the fields of philosophy, history and social sciences.
4. Circulation and teaching of literature and history of both the countries.
5. Circulation of video production, through television networks of both countries.
6. Exchange of books and publications.
7. Assistance in the translation and editing of scientific and literary works, films and videos.

*Qf*

*Mue*

8. Exchange of experts in the fields of fine arts (painting, sculpture, dance, theatre music and handicrafts).
9. Restoration of documents.
10. Classification of historic documents.
11. Restoration of movable and still properties.
12. Training through scholarships in the above mentioned areas.
13. Technical advice in cultural promotion and hosting, administration, management and cultural planning.
14. Exchange of experiences between the School of International Relations and the Indian Academy of International Law and Diplomacy, (ISIL).
15. Exchange of experiences between the Foreign Service Institute and Academia Diplomatica Panamena.
16. Scholarships.
17. Exchange of experiences between the Universities of Panama and the Indian Universities, especially the Jawaharlal Nehru University.
18. Organize art exhibits, art manifestations and folklore events.
19. Exchange of Scientist, Professors and Journalists for conferences, studies and research.
20. Any other field of education and culture which the Parties consider of mutual interest on the basis of the cooperation between them.

### ARTICLE III

The Parties in conformity to the Agreement, may request financing and participation of International Organisations for the execution of programmes and projects that stem from the Agreement.

### ARTICLE IV

Each Party shall offer the necessary facilities for the entrance, stay and departure of the personnel that officially participating in the programmes related with this Agreement. The personnel sent by the Parties, in accordance with the present Agreement, shall comply with the migratory, health and national security regulations standing in the host country and shall not dedicate and devote themselves to any other activity outside the peripheral parameters or receive any kind of moneys outside of what's been stipulated, without previous authorisation of the Parties.

Qub

Mike

#### ARTICLE V

The Parties shall offer all the necessary administrative and fiscal facilities for the entrance and exit of the equipment and material that shall be used during the execution of the project, according to the National Legislation.

#### ARTICLE VI

The Parties shall form a Joint Commission, which could establish sub-commissions and work groups in order to achieve its goals through the incorporation of specialists and experts when necessary.

The Joint Commission shall establish exceptional programmes with specific actions to be developed in two to three years.

#### ARTICLE VII

Any controversy arising between the Parties regarding to the interpretation or the application of this Agreement shall be resolved through mutual consultation between the Parties.

#### ARTICLE VIII

The Joint Commission shall meet every two years, alternatively between the two countries. The dates and venue shall be fixed by in conformity to mutual Agreement. The Parties shall convene the Agreement, special meetings for the study of projects and specific subjects which could be considered necessary and propose the relevant recommendation.

#### ARTICLE IX

The present Agreement shall come into effect on the date of the exchange of notes through which the Parties shall mutually notify having completed the internal legal procedures necessary for its ratification.

#### ARTICLE X

The present agreement will have a duration of five (5) years and its validity shall extend automatically every five (5) years unless one of the Parties notifies the other through a written notice six(6) months in advance their wish of terminating the Agreement.

*Quf*

*Uhe*



IN WITNESS WHEREOF the representatives duly authorized by their respective Governments have signed this Agreement.

Done in New Delhi on 2<sup>nd</sup> day of February, 2001, in two originals, each in the Hindi, Spanish and English languages, all the texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF  
THE REPUBLIC OF INDIA

FOR THE GOVERNMENT OF  
THE REPUBLIC OF PANAMA



(R.V. VAIDYANATHA AYYAR)  
Secretary  
Department of Culture



(MARIA ALEJANDRA EISENMANN)  
Secretary General  
Ministry of External Relations